वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 31.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण,अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स,राष्ट्रीय सहारा,जनसंदेश टाइम्स" समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

आज –दि0 31.07.2024

जेआरएस सहित कई कोचिंग सेंटर सीज

दिल्ली की घटना को देखते हुये सोमवार को जिला प्रशासन एवं विप्रा की टीम ने विभिन्न स्थानों पर आकस्मिक छापेमारी कर बेसमेंट पर चल रहे कोचिंगों को तत्काल प्रभाव से सिल कर दिया। सिल करने के बाद संचालकों को कड़ी चेतावनी भी दी गयी। उपजिलाधिकारी अलोक कुमार और विकास प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों ने भेलूपुर स्थित दुर्गाकुंड में कबीर नगर में संचालित जेआरएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरी खोली गयी थी। जबकि इससे पूर्व इस कोचिंग सेंटर पर विप्रा के अभियंताओं ने आकस्मिक निरीक्षण में लाइब्रेरी को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया था। लेकिन कोचिंग सेंटर संचालित कर रहे लोगों को दिल्ली में घटी घटनाओं के बारे में लगता है कि कुछ मालूम ही नहीं। कम खर्च में वहां पर स्टैण्ड बनाया जाता है वहां कोचिंग कर रहे छात्रों को लाइब्रेरी की सुविधा दी गयी है। हालांकि इस तरह की सुविधा को लेकर कभी संबंधित विभाग से कोचिंग संचालक ने कभी संपर्क नहीं किया। विप्रा के अभियंताओं ने बताया कि भविष्य में फिर बेसमेंट में लाइब्रेरी या कोचिंग संचालित होने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इसी प्रकार रविंद्रपुरी एक्सटेंशन में ओरिएंटल हॉस्पिटल के बगल में बेसमेंट में दो अदद कोचिंग चल रही थी। नियमतः

बेसमेंट में चल रहा था पठन-पाठन कार्य

देखा जाय तो बेसमेंट में विकास प्राधिकरण पार्किंग के अलावा अन्य किसी कार्य को करने के लिये मना करता है और संबंधित विषय में मानचित्र स्वीकृत होने के बाद शपथ पत्र दाखिल किया जाता है लेकिन भवन मालिक अब बेसमेंट में कोचिंग या अन्य गतिविधियों को चलाते हैं। इसी प्रकार मुगलसराय के अलीनगर में एक बेसमेंट में डिजिटल कोचिंग का संचालन किया जा रहा था। टीम को देखते ही कोचिंग सेंटर के मालिक ने बेसमेंट को खाली कराने लगा लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस और अधिकारियों की टीम ने बेसमेंट को सिल कर दिया। इस प्रकार जेआरएस कोचिंग की संचालित लाइब्रेरी, रक्षा एकेडमी, डिजिटल कोचिंग, माई क्लासेस, शिवम इंस्टीट्यूट, आकाश सेल्फ इस्टडी लाइब्रेरी, शुभम डिजिटल लाइब्रेरी, एनआर इंस्टीट्यूट, एसएस ट्यूटोरियल्स, आशा एकेडमी, इंटायर एजुकेशन, आधार इंस्टीट्यूट सहित मुगलसराय में बेसमेंट में चल रहे कोचिंगों को सिल कर दिया गया और संबंधित थाने के प्रभारी की अभीरक्षा में इन कोचिंगों को सौंप दिया गया।

बेसमेंट में दूसरे कार्यों पर होगी सीलिंग की कारवाई

दिल्ली में कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण प्रशासन ने पार्किंग स्थल पर किसी अन्य गतिविधियां चलाने पर रोक लगा दी है। उसको लेकर विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर प्राधिकरण सभागार में आवश्यक बैठक हुई। जिसमें उपाध्यक्ष ने सभी जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता, अवर अभियंता को कड़े निर्देश जारी किये हैं कि बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर कोई अन्य गतिविधि होते हुये पायी गयी तो उसे सील कर दिया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों और अभियंताओं को अपने-अपने जोन में सघन अभियान चलाते हुये इस तरह के बेसमेंट के खिलाफ कारवाई का निर्देश दिया। खासकर कोचिंग सेंटरों को बेसमेंट में चलाने पर तुरंत कारवाई का निर्देश दिया है। बैठक में सचिव डाक्टर वेद प्रकाश मिश्र, अपर सचिव डाक्टर गुडाकेश शर्मा, संयुक्त सचिव परमानंद यादव के अलावा जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता, अवर अभियंता मौजूद थे।

अनुमति के बिना बेसमेंट का निर्माण होगा सील

मानक के अनुरूप कार्य कराने के लिए शासन ने दिया एक अवसर

दिल्ली में बेसमेंट घटी घटना को देखते हुए शासन-प्रशासन पूरी तरह सक्रिय में आ गया है। सोमवार को शासन अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन के निर्देश जारी किया है कि बेसमेंट में जल भराव से जनहानि को देखते हुए प्राधिकरण विनियमित क्षेत्र भवनों के बेसमेंट के निर्माण में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें, जांच के बाद ही आवश्यक कारवाई की जाये। इसमें प्रमुख रूप से सुरक्षा का उपाय महत्वपूर्ण है, शासन निर्देश में जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता और अवर अभियंताओं की टीम गठित करते हुए विभिन्न आवासों में बने बेसमेंट बाकी स्थल पर निरीक्षण किया जाये एवं अवैधानिक गतिविधियों के नियंत्रण पर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें। निरीक्षण में इस बात का विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाये की बेसमेंट का निर्माण मानकों के अनुरूप किया गया है। इस प्रकार के मानचित्रों को तभी स्वीकृत किये जाये, जब

[illegible]

आज–दि0 31.07.2024

अनुमति के बिना बेसमेंट का निर्माण होगा सील

मानक के अनुरूप कार्य कराने के लिए शासन ने दिया एक अवसर

दिल्ली में बेसमेंट घटी घटना को देखते हुए शासन-प्रशासन पूरी तरह सक्रिय में आ गया है। सोमवार को शासन अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन के निर्देश जारी किया है कि बेसमेंट में जल भराव से जनहानी को देखते हुए प्राधिकरण विनियमित क्षेत्र भवनों के बेसमेंट के निर्माण में सुरक्षा बचाये सुरक्षित करें, जांच के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाये। इसमें प्रमुख रूप से सुरक्षा का उपाय महत्वपूर्ण है. शासन निर्देश में जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता और अवर अभियंताओं की टीम घठित करते हुए विभिन्न आवासों में बने बेसमेंट बाकी स्थल पर निरीक्षण किया जाये एवं अवैधानिक गतिविधियों के नियंत्रण पर सुरक्षा उपाय सुरक्षित करें। निरीक्षण में इस बात का विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाये की बेसमेंट का निर्माण मानकों के अनुरूप किया गया है। इस प्रकार के मानचित्रों को तभी स्वीकृत दिये जाये, जब

बेसमेंट के निर्माण में सभी मानकों को सुनिश्चित किया गया है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये मानचित्रों में स्वीकृति उपयोग से बेसमेंट की सुरक्षा उपाये पर विशेष निगरानी करती जाये, यदि सुरक्षा के अनुकूल नहीं है तो इस तरह के बेसमेंट के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की जाये। इसके अलावा जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता और अवर अभियंता विकास क्षेत्र सभी बड़े-छोटे भवनों में हर हाल में मानचित्र स्वीकृत कराये। स्वीकृत मानचित्र में निर्धारण के प्रयोग पर संस्थानों की कार्य प्रणाली दिखी जाये। बीना मानचित्र स्वीकृत कराये बेसमेंट के उपयोगिताओं की व्यापक जांच की जायें और भवन स्वामी को तीन दिन के अन्दर बेसमेंट की अनुमति प्रदान की जाये, यदि भवन निर्माता तीन दिन के अन्दर बेसमेंट की अनुमति नहीं लेता है तो उसे बेसमेंट को तत्काल सील कर दिये जाये। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बेसमेंट संबंधित निर्देशों को अक्षत: पालन करने के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि २००८ में यथा संशोधन करके २०२३ के अध्याय ३.९ का उल्लेख अनुमन्य है। बैठक में वेदप्रकाश मिश्रा, अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, संयोक्त सचिव परमानन्द यादव और जोनल अधिकारी सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता शामिल थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 31 .07.2024

मानचित्र के संबंध में विप्रा उपाध्यक्ष का दिशा निर्देश

विकास प्राधिकरण में आनलाइन समन मानचित्रों के निस्तारण में और सरल बनाने के लिये उपाध्यक्ष ने निर्देश जारी किया है। समन मानचित्रों पर ऐसे राजस्व जिनके बारे में अधिनियम १९७६ के अंतर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि सम्मिलित नही किया गया तो प्राधिकरण विभिन्न योजनाओं और प्रायोजन के लिये न ही भूमि अर्जित की है। इस प्रकार के मानचित्रों पर आवापत्ति अनुभाग आपत्ति नही करेगी। इस प्रकार के सिलिंग के लिये रजिस्टर रखना अनिवार्य है। जिसपर की ग्राम एवं प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं के आवत्ति भूमि का विवरण दर्ज किया गया हो। इस प्रकार मानचित्र का निस्तारण कराने में लोगों को सुविधा होगी।

पांच बीघा प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर वाराणसी जोन-२ वार्ड सारनाथ मौजा व्यासपुर में विशाल यादव और ईष्टदेव पाण्डेय नामक दो व्यक्तियों ने पांच बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग का कार्य कर रहे थे। शिकायत के आधार पर विप्रा की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद प्लाटिंग पर किये गये निर्माण पर जेसीबी चला दिया। काररवाई में जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता जेपी गुप्त, सारनाथ थाने की पुलिस, सुपरवाइजर और प्रवर्तन दल शामिल थे। टीम ने रिक्त की गयी जमीन पर विप्रा का बोर्ड भी लगा दिया जिसमें यह स्पष्ट किया है कि बिना ले आउट स्वीकृति के भूमि का क्रय न किया जाय।

अमर उजाला –दि0 31.07.2024

वीडीए ने की 45 बेसमेंट की जांच 14 सील किए, इनमें 13 कोचिंग

दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई तीन छात्रों की मौत के बाद जागा वीडीए प्रशासन

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत के बाद वीडीए प्रशासन जागा है। बेसमेंट के गलत इस्तेमाल पर वीडीए ने मंगलवार को शहर में अभियान चलाया। इस दौरान प्रवर्तन टीम ने 45 स्थानों के बेसमेंट की जांच की। गलत इस्तेमाल होने पर 14 बेसमेंट सील कर दिए गए। इनमें 13 कोचिंग संस्थान शामिल हैं।

इसके अलावा 19 बेसमेंट के मालिकों को तीन दिन में अनाधिकृत इस्तेमाल बंद कर वैधता प्रमाण पत्र पेश करने का नोटिस थमाया है। बाकी 12 को बेसमेंट में पार्किंग व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी गई।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अगुवाई में वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने दुर्गाकुंड स्थित कई कोचिंग संस्थाओं पर छापेमारी की। कागजात न दिखाने पर उन्होंने कोचिंग के बेसमेंट को सील कर दिया। कहा कि जिन-जिन संस्थानों में सील की कार्रवाई की गई है, यदि कोई सील तोड़कर अन्य कार्य करेगा तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यह भी जांच की जाएगी कि आवासीय नक्शा पास कर किसी भवन का व्यावसायिक इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है।

बेसमेंट का इस्तेमाल सही कराएं अधिकारी: वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने मंगलवार को बैठक कर प्रवर्तन टीम को आदेश दिए कि हर जोन में जांच कर कार्रवाई करें। साथ ही मानचित्र जांच कर तीन दिन के भीतर बेसमेंट का इस्तेमाल सही तरीके से कराएं। अंतिम अवसर देने के लिए उन्हें नोटिस थमाएं। तीन दिन में यदि कोई सुधार न हो तो तत्काल सील करें।

अपर मुख्य सचिव आवास ने भी दिए जांच के आदेश: अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण ने बेसमेंट की जांच कर विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता और अवर अभियंता की टीम को पार्किंग वाले स्थान बेसमेंट के अन्य इस्तेमाल की जांच व निगरानी करने को कहा है। हर हाल में बेसमेंट का इस्तेमाल स्वीकृत मानचित्र के अनुसार हो।

रक्षक अकादमी दुर्गाकुंड के बेसमेंट की जांच करने पहुंची वीडीए की टीम। संवाद

शहर के 170 बेसमेंट में अवैध कोचिंग, लाइब्रेरी, अस्पताल

वाराणसी। शहर में 170 से अधिक भवनों के बेसमेंट में कोचिंग, स्कूल, अवैध लाइब्रेरी, क्लासरूम, कैंटीन, अस्पताल, पैथोलॉजी, होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। इनमें कई भवनों के बेसमेंट में सीपेज और खुले तारों से करंट का खतरा मंडरा रहा है। ज्यादातर बेसमेंट में सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। यहां तक की जोरदार बारिश के दौरान इसमें पानी भर जाता है। आग लगने की घटना से बचाव के लिए भी कोई उपकरण नहीं है। बीते तीन साल पहले वीडीए ने बेसमेंट के खिलाफ अभियान चलाया था। उस दौरान कुछ कार्रवाई भी की गई थी लेकिन बाद में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 45 बेसमेंट भवन स्वामियों को पहले नोटिस दिया जा चुका है। इसके बावजूद भवन स्वामियों की मनमानी जारी है। इन भवनों के बेसमेंट में आने-जाने का एक ही रास्ता है। आपातकालीन निकास नहीं है। बिजली के पैनल व तार खुले पड़े हैं। कई के पास फायर एनओसी तक नहीं है। शहर के बीचोंबीच ही नहीं बल्कि कई पॉश इलाकों का हाल यही है। ब्यूरो

> बेसमेंट का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। तीन दिन के भीतर यदि वे बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग और स्टोर के लिए नहीं करेंगे तो बड़ी कार्रवाई होगी। पूर्व में जारी नोटिस के आधार पर भी कार्रवाई होगी। - पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए

इन कोचिंग संस्थानों को वीडीए ने किया सील

जोन वन: शिवम इंस्टीट्यूट, आकांक्षा सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी, शुभम डिजिटल लाइब्रेरी (कोनियापुरा), एनआर इंस्टीट्यूट (बैजलपट्टी) के अवैध बेसमेंट को सील किया गया।

जोन टू: एमएस ट्यूटोरियल महादेवनगर आशापुर सारनाथ, आस अकादमी बनुआ रोड के अवैध बेसमेंट को सील किया गया। इंटया एजुकेशन शिवपुर बनुआ रोड सारनाथ, आभा इंस्टीट्यूट आशापुर को नोटिस जारी किया गया।

जोन थ्री: दुर्गाकुंड भेलूपुर स्थित जेआरएस कोचिंग के अनधिकृत बेसमेंट को सील किया गया। रक्षक अकादमी दुर्गाकुंड, डिजाइन कोचिंग दुर्गाकुंड, साईं क्लासेस कबीरनगर के बेसमेंट को सील किया गया।

जोन फाइव: क्रिकेट कोचिंग क्लासेस मुगलसराय के अनधिकृत बेसमेंट को सील किया गया।

अमर उजाला –दि0 31.07.2024

पांच बीघे की अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को सारनाथ के व्यासपुर में पांच बीघे की अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कराई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार विशाल यादव और ईष्टदेव पांडेय की ओर से प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। ब्यूरो

दैनिक जागरण –दि0 31.07.2024

गिरीश मिश्रा को वीडीए उपाध्यक्ष ने दिया प्रशस्ति पत्र

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग गिरीश मिश्रा को प्रशस्ति पत्र देते • स्रोत : वीडीए

वाराणसी : रथयात्रा चौराहे से गुरुबाग मार्ग चौड़ीकरण को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने तैयारी तेज कर दी है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने प्रभात पांडेय को योजना पूरी करने को लगाया है। चिह्नित भवन स्वामियों से वार्ता करने के साथ एक-एक कर जमीन वीडीए प्रशासन ले रहा है। रथयात्रा चौराहे पर गिरीश कुमार मिश्रा का जमीन था। वीडीए प्रशासन के अनुरोध पर स्वेच्छा से जमीन देने विभाग की ओर से प्रशस्ति पत्र दिया गया है। वीडीए उपाध्यक्ष ने प्रशस्ति पत्र देने के साथ आभार जताया। (जासं)

दैनिक जागरण –दि0 31.07.2024

चंदौली जिले में 260 फ्लैट का नक्शा पास

वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि चंदौली के मुगलसराय वार्ड के गोधना में कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रुप हाउसिंग मानचित्र के लिए आवेदन किया था। 23266 वर्गमीटर जमीन पर 260 फ्लैट का मानचित्र पांच दिन में पास कर दिया गया है। एक टावर 13 मंजिल का है। (जासं)

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण –दि0 31.07.2024

वीडीए ने बेसमेंट में कोचिंग मिलने पर किया सील, नोटिस

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने लंका, भेलूपुर, रविंद्रपुरी, आशापुर, बलुआ रोड, मुगलसराय में की बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी : दिल्ली के राजेंद्र विहार में राव कोचिंग के बेसमेंट पानी भरने से तीन छात्र-छात्राओं की मौत होने और प्रदेश सरकार के सख्ती पर मंगलवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण पूरी तरह हरकत में नजर आया। कोचिंग संस्थानों का हब माना जाने वाले भेलूपुर थाना क्षेत्र में विकास प्राधिकरण सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्र के नेतृत्व में धमकी टीम ने एक-एक कर चार कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान कुछ संचालकों ने विरोध करने का प्रयास किया लेकिन वीडीए के सख्ती के आगे एक नहीं चली। संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा संचालन मिलने पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ कार्रवाई की जाएगी। दैनिक जागरण ने 29 जुलाई के अंक में नियम दरकिनार, बेसमेंट में चल रहा मौत का कारोबार खबर लिखकर सवाल उठाया था।

वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बेसमेंट में कारोबार होने को लेकर अधीनस्थों संग बैठक की। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के साथ टीम गठित कर अलग-अलग क्षेत्रों में भेजा। विशेषकर लंका और भेलूपुर क्षेत्र में कोचिंग हब होने को लेकर वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा को सख्ती से कार्रवाई करवाने का निर्देश दिया।

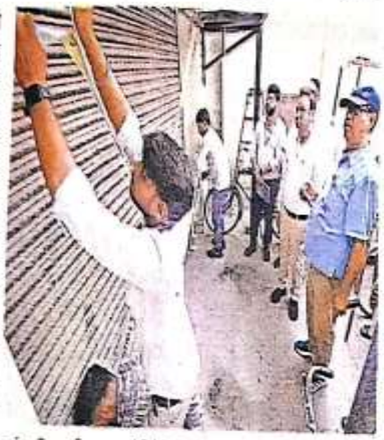

दुर्गाकुंड स्थित कबीर नगर कालोनी में बेसमेंट में चल रहे जेआरएस कोचिंग को सील कराते वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्र समेत अन्य अधिकारी• जागरण

रविंद्रपुरी मार्ग पर बेसमेंट में चल रहे थे रक्षक एकेडमी को सील करने पहुंचे वीडीए अधिकारी व पुलिसकर्मी • जागरण

45 स्थानों पर बेसमेंट की जांच में 14 पर मिले कारोबार, 19 को बंद करने को कहा

वीडीए की टीम महमूरगंज स्थित केटजी और फंट जी कोचिंग पहुंची। यहां नोटिस जारी कर टीम रविंद्रपुरी स्थित रक्षक एकेडमी पहुंची, यहां बेसमेंट में कोचिंग चल रहा था। वीडीए ने इसे सील कर दिया। पास में ही चल रहे डिजाइन स्क्वायर कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया। दुर्गाकुंड क्षेत्र में जेआरएस कोचिंग में बेसमेंट चल रही कक्षाओं व लाइब्रेरी को देखकर टीम हैरान हो गई। वीडियो बनाने के बाद अंदर से बच्चों को बाहर निकालकर सील कर दिया। टीम ने कमल के बेसमेंट में चल रही माई क्लासेज रूम कोचिंग को भी सील कर दिया।

वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा ने बताया कि सभी जोन में बेसमेंट में व्यवसायिक कारोबार करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। 45 स्थानों पर बेसमेंट की जांच की गई जिसमें 14 स्थानों पर बेसमेंट में कारोबार करते हुए पाया गया जिसे मौके पर सील कर दिया गया। 19 स्थानों पर तीन दिन के अंदर अनाधिकृत प्रयोग करने पर बंद करने को कहा गया। शिवपुर वार्ड में शिवम इंस्टीट्यूट, आकांक्षा सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी, शुभम डिजिटल लाइब्रेरी (कोनापानपुर), एनआर इंस्टीट्यूट (बैजलपट्टी) के अनाधिकृत बेसमेंट को बंद कर दिया गया। सारनाथ वार्ड में आशापुर के महादेव नगर में एसएस ट्यूटोरियल, बलुआ रोड आशा अकादमी को सील कर दिया गया। इसके अलावा बलुआ रोड तिलमापुर में इंटास एजुकेशन व आशापुर में आधार इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी किया गया है।

आशापुर को नोटिस जारी किया गया। मुगलसराय में प्रोफेल कोचिंग क्लासेज बेसमेंट में संचालित होने सील कर दिया गया।

- जेआरएस, रक्षक एकेडमी, केटजी, शिवम इंस्टीट्यूट, शुभम डिजिटल लाइब्रेरी पर नकेल
- कबीर नगर में बेसमेंट में चल रहा था कोचिंग और लाइब्रेरी, बच्चों को निकाला बाहर

बिना मान्यता के चल रहे 11 विद्यालयों पर होगी एफआइआर

जासं, वाराणसी : जनपद में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। अप्रैल माह में छापेमारी करके जिले के गैर मान्यता प्राप्त 37 विद्यालयों को बंद कराया गया था। साथ ही इनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया था। बावजूद इसके इसमें से 11 विद्यालय फिर से चालू पाए गए हैं। मंगलवार को इनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराते हुए फिर से बंद कराने का निर्देश जारी किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि इस मामले में चिरईगांव, हरहुआ, बड़ागांव व पिंडरा के खंड शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर दो दिन में आख्या मांगी गई है। इन स्कूलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही एक-एक लाख रुपये अर्थ दंड वसूलने का भी निर्देश दिया गया है।

इन गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर होगी कार्रवाई : पीआरसी चिल्ड्रेन अकादमी चंदापुर मुस्तफाबाद, श्रीभगन यादव सिंहपुर, रैपुरा, सरस्वती ज्ञान मंदिर रामचंदीपुर, आरती शिक्षा निकेतन पियरी, केके इंस्टीट्यूट स्कूल सोनबरसा, बाबा हरिराम शिक्षा निकेतन तजपुर, वाराणसी इंटर नेशनल स्कूल हटिया हरहुआ, माय छोटा स्कूल पुष्पराजनगर कालोनी रसूलपुर हरहुआ, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल गरथमा, सरस्वती विद्या मंदिर दोबुआ बड़ागांव, वीके कान्वेंट स्कूल बसनी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण –दि0 31.07.2024

वीडीए के प्रस्ताव पर किसानों ने जताई असहमति

राजातालाब : बैरवन स्थित वीडीए कार्यालय में मंगलवार को वीडीए सचिव वेद प्रकाश मिश्र, सिटी मजिस्ट्रेट रवि शंकर सिंह व उप जिलाधिकारी राजातालाब अमित कुमार की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के प्रभावित किसानों के साथ बैठक हुई। इस दौरान किसानों ने वीडीए सचिव के प्रस्ताव पर असहमति जताई। कहा, आप द्वारा कई वर्षों से विनिमय का प्रस्ताव लाया जा रहा, लेकिन आपकी भूमिका स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसलिए हम किसान लोग न्यायालय के आदेश का इंतजार करेंगे। वीडीए सचिव ने किसानों के साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लाल बिहारी पटेल से सहमत-असहमत किसान व अनपढ़ किसान सहित तीन सूची बनाकर एक सप्ताह में देने को कहा ताकि विचार कर समाधान का प्रयास किया जा सके। (संसू)

राष्ट्रीय सहारा –दि0 31.07.2024

दिल्ली हादसे के बाद वीडीए एक्शन में

जेआरएस सहित कई कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई

वाराणसी। दिल्ली कोचिंग संस्थान में बरसात के पानी भरने से छात्रों की हुई मौत के घटना के बाद शासन के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण भी मंगलवार को एक्शन में नजर आया। कार्रवाई के क्रम में जेआरएस सहित कई कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की। वाराणसी विकासी प्राधिकरण के सभी जोन में बेसमेंट में की जा रही व्यवसायिक गतिविधि के विरुद्ध अभियान चलाया गया जिसके क्रम में कुल 45 स्थलों पर बेसमेंट की जांच की गई जिसमें कुल 14 स्थल पर बेसमेंट का अवैध रुप से व्यावसायिक प्रयोग करते हुए पाया गया जिसे मौके पर सील कराया गया एवं 19 प्रकरणों में तीन दिन में अनाधिकृत प्रयोग बंद करने एवं अवैधता प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया। प्राधिकरण का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

भेलूपुर वार्ड के अंतर्गत दुर्गाकुंड कबीर नगर में संचालित जेआरएस कोचिंग के बेसमेंट में अवैध रूप से लाइब्रेरी संचालित हो रही थी। वीडीए अधिकारियों ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे लाइब्रेरी में मौजूद विद्यार्थियों को बाहर करने के बाद उसे सील करने की कार्रवाई की। इसी प्रकार रक्षक अकादमी दुर्गाकुंड, डिजाइन कोचिंग दुर्गाकुंड, माई क्लासेज कबीरनगर के बेसमेंट को सील किया गया। इसी प्रकार रविन्द्रपुरी एक्सटेंशन में ओरियाना हॉस्पिटल के बगल में बेसमेंट में संचालित दो अदद कोचिंग को सील कर थाना भेलूपुर की पुलिस अभिरक्षा में दिया गया।

इसी तरह शिवपुर वार्ड में शिवम इंस्टीट्यूट, आकांक्षा सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी, शुभम डिजिटल लाइब्रेरी (कोयराजपुर), एनआर इंस्टीट्यूट (बैजलपट्टी) के अनिधिकृत बेसमेंट भवन को सील किया गया। सारनाथ में एसएस ट्यूटोरियल, महादेवनगर आशापुर सारनाथ, आशा अकादमी बलुआ रोड सारनाथ के अनाधिकृत बेसमेंट पर सील की कार्यवाही की गाई तथा इंटयर एजुकेशन तिलमापुर बलुआ रोड सारनाथ, आधार इंस्टीट्यूट आशापुर को नोटिस जारी किया गया।

इसी क्रम में प्रिवेल कोचिंग क्लासेस, मुगलसराय के अनाधिकृत बेसमेंट प्रयोग को सील कराया गया। उप जिलाधिकारी, आलोक कुमार एवं प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने अरविंद कुमार की तरफ से मुगलचक, अलीनगर में अनाधिकृत रूप बेसमेंट में प्रिवेल कोचिंग क्लासेस का संचालन किया जा रहा था, टीम ने अपनी निगरानी में कोचिंग सेंटर को रिक्त कराया तथा स्थल को सील कर थाना अध्यक्ष अलीनगर की अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया।

बेसमेंट में चलने वाली कोचिंग को बंद कराने को किया प्रदर्शन

वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने दिल्ली में एक आईएएस के बेसमेंट कोचिंग में पानी भर जाने से हुए दो छात्राओं व एक छात्र की मौत पर जहां शोक संवेदना व्यक्त की तथा दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। वहीं प्रदर्शन कर शहर में चल रहे इस तरह के कोचिंग संस्थानों को बंद करने की मांग की। धरने प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि इस तरह की कोचिंग चलना सरकार की नाकामी है। इस दौरान मुख्य रुप से समाजवादी छात्रसभा के राष्ट्रीय सचिव राज सिंह यादव, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अभिषेक यादव, अमरनाथ यादव, सचिन यादव, उत्कर्ष पांडेय, नितीश, जितेन्द्र, अतुल, अनूप, आलोक सहित अन्य छात्र मौजूद रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 31.07.2024

बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थाओं पर तत्काल करें कार्रवाई

विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने मातहतों को दिया निर्देश

"वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा आज प्राधिकरण सभागार में बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर की जा रही अवैधानिक गतिविधियों के निरोधन एवं मानक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में बैठक की गयी व उपाध्यक्ष द्वारा सभी जोन के जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता व अवर अभियंता को क्षेत्र के सभी छोटे-बड़े कोचिंग संस्थानों, जो बेसमेंट में कोचिंग का संचालन कर रहे उनपर तत्काल प्रभाव से सील की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया तथा स्पष्ट किया कि कोचिंग सेंटरों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सख्ती से लागू की जाएगी बैठक के दौरान सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा, संयुक्त सचिव परमानन्द यादव व संपूर्ण जोन के जोनल अधिकारी, सहायक अभियन्ता व अवर अभियंता उपस्थित रहे 'भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011, 2016 एवं 2018) के अध्याय 3.9 के अनुसार ही बेसमेंट का निर्माण अनुमन्य होगा।

मलदहिया के लोहामंडी को अतिक्रमण मुक्त कराने धमकी नगर निगम की टीम, दुकानदारों में हड़कंप, विरोध के बाद 48 घंटे की मिली मोहलत

वाराणसी। अतिक्रमण को लेकर वाराणसी प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। प्रशासनिक अधिकारी शहर को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए संकल्पित हैं। इसी क्रम में मंगलवार को नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम चेतगंज थाने की पुलिस के साथ मलदहिया के लोहामंडी में धमकी। जहां दुकानदारों को चेतावनी देकर अतिक्रमण खाली कराया गया। वहीं प्रवर्तन दल व पुलिस टीम को देख व्यापारियों व दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद दुकानदारों ने इसका जमकर विरोध किया। दुकानदारों का कहना था कि बिना हमें सूचित किए ही हमारे सामानों को हटवाया जा रहा है। ऐसे में हमें अपने सामानों को हटाने की मोहलत दी जाए। जिससे हमारा सामान सुरक्षित हो सके। इसे संज्ञान में लेते हुए प्रवर्तन दल के अधिकारियों ने दुकानदारों को 48 घंटे की मोहलत दी कि वे सभी अपना सामान हटा लें। अन्यथा नगर निगम उनके खिलाफ कार्यवाही करेगा।

हिन्दुस्तान –दि0 31.07.2024

ग्रुप हाउसिंग को 5 दिन में नक्शा मिला

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर में गोधना के एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के मानचित्र को पांच दिन में स्वीकृति दी है। 13 मंजिले प्रोजेक्ट में 260 फ्लैट बनने हैं।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान –दि0 31.07.2024

कबीरनगर, दुर्गाकुंड, रवींद्रपुरी समेत कई क्षेत्रों में कार्रवाई, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और क्लीनिक के खिलाफ भी चला अभियान

वीडीए ने 11 कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट किए सील, दो को नोटिस

हड़कंप

1. संचालकों को भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत दी गई

2. दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हादसे के बाद ऐक्शन

3. कई जगह सुविधा लाइब्रेरी में छात्र बढ़ाई करते पाए गए

वाराणसी, हिटी। वीडीए की टीम ने मंगलवार को बेसमेंट में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अपने पांचों जोन में अभियान चलाया। इस दौरान कुल 13 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गई। इनमें 11 के बेसमेंट सील कर दिए गए। वहीं दो अन्य को नोटिस जारी किया गया है।

[illegible]

रवींद्रपुरी स्थित कोचिंग सेंटर की मंगलवार को जांच करने पहुंची विकास प्राधिकरण की टीम। • हिन्दुस्तान

[illegible]

अग्निशमन विभाग ने जांचे 10 कोचिंग सेंटर

[illegible]

कहीं दुकानें, गोदाम तो कहीं चल रहीं कक्षाएं

हि पड़ताल

- शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पार्किंग की जगह हो रहा व्यावसायिक कार्य
- पार्किंग दिखाकर पास कराया नक्शा, एफएआर का फायदा भी लिया

[illegible]

कोचिंग के बाहर सीवर ओवरफ्लो हो रहा

[illegible]

बेसमेंट में लाइब्रेरी, शिक्षकों के केबिन

[illegible]

जनसंदेश टाइम्स –दि0 31.07.2024

बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों पर होगी सख्त कार्रवाई

बैठक

सेंटरो पर लागू होगी जीरो टालरेंस पालिसी, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नही

वाराणसी। पार्किंग के जगह पर बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों पर सख्त कारवाई होगी। सेंटरों पर जीरो टालरेंस पालिसी लागू होगी। इसके लिए वीडीए जबरदस्त अभियान चलाने के लिए जहां टीम बना ली है, वहीं विभाग के सभी जोन के जोनल अधिकारियों, सहायक अभियंताओं और अवर अभियंताओं को अपने -अपने क्षेत्रों में तेजी से जांच करने और ऐसे संचालको के विरुद्ध सख्त कारवाई किये जाने को कहा है। इसको लेकर वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में मंगलवार को प्राधिकरण सभागार में हुई बैठक में बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर जारी अवैधानिक गतिविधियों के नियंत्रण एवं मानक सुरक्षा उपाय पर जहां गम्भीरता से विचार किया गया, वहीं ऐसे संचालको के खिलाफ कारवाई सुनिश्चित किये जाने के बारे में निर्देश दिया गया। सभी जोन के जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता व अवर अभियंता उपस्थित रहे। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शहर के सभी जगहो पर सभी छोटे- बड़े कोचिंग संस्थानो की तत्काल जांच करने और बेसमेंट में कोचिंग का संचालन किये जाने पर तत्काल प्रभाव से सील की कारवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है, मानक के विपरीत बेसमेंट में कोचिंग सेंटरों पर जीरो टालरेंस पालिसी सख्ती से लागू की जायेगी। बैठक के दौरान सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा, संयुक्त सचिव परमानन्द यादव और संपूर्ण जोन के जोनल अधिकारी, सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियंता उपस्थित रहे।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 31.07.2024

वीडीए ने कसा कई नामचीन कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा

छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ पर वीडीए हुआ सख्त

कार्रवाई

- कोचिंग को सील कर उसे पुलिस अभिरक्षा में दिया गया
- शहर व अलीनगर में बेसमेंट में संचालित तीन कोचिंग सेंटर सील
- बेसमेंट में चल रही पढ़ाई के खिलाफ टीम ने चलाया जबरदस्त अभियान

राष्ट्रीय सहारा –दि0 31.07.2024

अवैध प्लाटिंग पर चला वीडीए का बुलडोजर

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम ने पांच बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की।सारनाथ वार्ड के मौजा-व्यासपुर में विशाल यादव व ईष्ट देव पांडे द्वारा लगभग पांच बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।